भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1858

गुरूवार, 22 दिसम्बर, 2022/1 पौष, 1944 (शक)

सीएसएस के अंतर्गत केंद्रीय सहायता

1858. श्री विजय पाल सिंह तोमरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान श्रमिकों के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का उत्तर प्रदेश सहित वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है**;**

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं से कितने श्रमिक लाभान्वित हुए हैं**;** और

(ग) देश में श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस संबंध में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन नामक दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता, केवल एनसीएस योजना के तहत प्रदान की जाती है। एनसीएस योजना के तहत, आदर्श करियर केंद्र की स्थापना के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रस्तावों के तहत धनराशि जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एनसीएस योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तर प्रदेश सहित) को जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपए लाख में)

वित्तीय वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तर प्रदेश सहित) को जारी की गई धनराशि	2595.12	896.72	41.30	2338.76
उत्तर प्रदेश को जारी धनराशि	301.47	-	-	263.15

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 8.49 लाख उम्मीदवारों को करियर परामर्श/व्यावसायिक मार्गदर्शन/आत्मविश्वास निर्माण/भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह कार्य राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से किया गया है।

****